बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
मुख्यालय, अनुश्रवण

संoसंo–लoसिंoमोo–जनसम्पर्क–124/2016– 1265 (मॉ0) /पटना, दिनांक–22/6/2020

प्रेषक,

**ई0 रवीन्द्र कुमार सिंह,**
**अधीक्षण अभियन्ता,**
**(मुख्यालय), अनुश्रवण,**
**लघु जल संसाधन विभाग, पटना।**

सेवा में,

**सभी कार्यपालक अभियन्ता,**
**लघु सिंचाई प्रमण्डल, ......................।**
**सभी अधीक्षण अभियन्ता,**
**लघु सिंचाई अंचल, .........................।**
**सभी मुख्य अभियन्ता,**
**लघु जल संसाधन विभाग, .............।**

विषयः–**नियमित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सोशल मीडिया पर जिले के महत्वपूर्ण गतिविधियां को अपलोड करने तथा सोशल मीडिया/पोर्टल पर चल रही भ्रामक खबरों के खंडन करने के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः–**सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार का पत्रांक–714, दिनांक–29.05.2020**

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार द्वारा प्राप्त पत्र की छाया–प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा निदेश दिया गया है कि जिला–स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से प्रेस सम्मेलन कर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित उपयोगी एवं लाभकारी सूचनाओं से प्रेस को अवगत कराया जाय। जिले में सिर्फ जिलाधिकारी द्वारा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत किया जायगा। प्रेस सम्मेलन में कोई विरोधाभास उत्पन्न नहीं हो, अतः आवश्यकतानुसार सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को इसमें आमंत्रित किया जायगा। सभी विभागाध्यक्ष अपने विभाग से सम्बन्धित सूचनायें/आँकड़ों के साथ प्रेस सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे।

सोशल मीडिया में विभाग से सम्बन्धित सूचनायें क्षेत्रीय पदाधिकारी विभाग से अनुमोदन के पश्चात् ही Upload करेंगे।

कृपया प्रासंगिक पत्र का अनुपालन किया जाय।

**अनु0–यथोक्त।**

विश्वासभाजन,

22/6/2020

**अधीक्षण अभियन्ता,**
**(मुख्यालय), अनुश्रवण,**
**लघु जल संसाधन विभाग, पटना।**

D:\AWADH-2020\LETTER-\JUNE-2020\PRESS CONGRENCE- MEDIA-08-06-2020.DOCX

# बिहार सरकार
## सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

पत्रांक–विज्ञा0(4)01–05/2017..........714..........सू0ज0स0वि0. पटना दिनांक 29/05/2020

प्रेषक,

अनुपम कुमार
सरकार के सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
बिहार।

विषयः– **नियमित रुप से प्रेस कॉन्फ्रेस करने, सोशल मीडिया पर जिले की महत्वपूर्ण गतिविधियां को अपलोड करने तथा सोशल मीडिया/पोर्टल पर चल रही भ्रामक खबरों के खंडन करने के संबंध में।**

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–163, दिनांक–04.03.2008, पत्रांक–581, दिनांक–22.04.2020 एवं पत्रांक–623, दिनांक–08.05.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रशासन की भूमिका अत्यंत ही विस्तारित हो चुकी है। प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कार्य सूचनाओं को आम जन को सहज रूप से सुलभ कराना है। कोरोना जैसी आपदा की स्थिति में सूचनाओं का त्वरित सम्प्रेषण और भी आवश्यक हो जाता है। सूचनाओं को सुलभ कराने हेतु अनेकों माध्यम हो सकते हैं। यथा:–

**1. प्रेस सम्मेलन का नियमित आयोजन**–इस संबंध में विभागीय पत्रांक–163, दिनांक–04.03.2008 के द्वारा निदेश दिया गया था कि जिला स्तर पर प्रेस सम्मेलन का नियमित आयोजन किया जाय। ज्ञातव्य हो कि राज्य सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों को आम जनों तक नियमित रूप से पहुँचाना आवश्यक है। इसके लिए प्रेस एवं मीडिया एक सशक्त माध्यम है। अतः यह आवश्यक है कि जिला स्तर पर नियमित रूप से पत्रकार सम्मेलन कर सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन सम्बंधी उपयोगी एवं लाभकारी सूचनाओं से प्रेस को अवगत कराया जाय।

जिले में सिर्फ जिला पदाधिकारी द्वारा ही प्रेस सम्मेलन आहूत किया जाय। प्रेस सम्मेलन में कोई विरोधाभास उत्पन्न नही हो, अतः आवश्यकतानुसार जिले के सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को इसमें सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया जाय ताकि वे अपने विभाग से संबंधित सूचनाओं/आँकड़ों के साथ प्रेस सम्मेलन में उपस्थित रहें।

यदि किसी समाचार पत्र/पत्रिका/न्यूज चैनल में असत्य/भ्रामक समाचार प्रकाशित/प्रसारित होता है तो उसका खण्डन तत्काल संबंधित पत्र–पत्रिका/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के स्थानीय सम्पादक/ब्यूरो चीफ को भेजते हुये उसका प्रकाशन सुनिश्चित कराया जाय। साथ ही इसकी प्रति निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग को भी यथासंभव उसी

क्रमशः

153

दिन उपलब्ध करायी जाय ताकि राज्यस्तर से भी संबंधित एजेन्सी को खण्डन/प्रकाशित करने हेतु अनुरोध किया जा सके।

**2. सोशल मीडिया का उपयोग**–सोशल मीडिया, हाल के वर्षों में नागरिकों से विचारों का अदान–प्रदान करने तथा उनके विचारों से अवगत होने में एक सशक्त माध्यम के रूप मे तेजी से उभरा है। वर्तमान समय में गवर्नेंस में सोशल मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो गयी है तथा उसके माध्यम से विभागीय/सरकारी उपलब्धियों, नीतियों, जनोपयोगी योजनाओं को आम लोगों तक पहुँचाने में एक वैकल्पिक माध्यम के रूप में इसका उपयोग किया जाना समय की मांग है। प्रशासन के द्वारा इस माध्यम का उपयोग कर सरकारी नीतियों, सूचनाओं को आम जन तक पहुँचाया जा सकता है तथा किसी भ्रामक पोस्ट के सोशल मीडिया पर वायरल होने अथवा नकारात्मक प्रचार की स्थिति में वैसी खबरों का खंडन, सूचना, Creative, वीडियो, ऑडियो तथा आलेख आदि के माध्यम से किया जा सकता है।

(क) सोशल मीडिया पर क्षेत्रीय कार्यालयों की गतिविधि की समीक्षा से ज्ञात होता है कि लगभग सभी जिले सोशल मीडिया पर सक्रिय तो हैं, किन्तु उनमें एकरूपता का अभाव है। कुछ जिलों के द्वारा जिला पदाधिकारी के नाम से फेसबुक अकाउन्ट/ट्विटर हैंडल खोला गया है जबकि कुछ जिलों के द्वारा जिला प्रशासन के नाम से। कुछ जिलों में तो जिला पदाधिकारी के व्यक्तिगत अकाउन्ट से सोशल मीडिया पर गतिविधियाँ चलाई जा रही है। अतः सभी जिलों के सोशल मीडिया अकाउन्ट में एकरूपता लाने के उद्देश्य से सभी जिले जिला प्रशासन के नाम से (यथा–District Administration, Gaya/District Administration, Patna) फेसबुक तथा ट्विटर पर अकाउन्ट खोल सकते हैं तथा जिलों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों/सूचनाओं को नियमित रूप से इन प्लेटफार्मस पर अपलोड कर सकते हैं।

(ख) इसी प्रकार जिला पुलिस के लिए अलग से फेसबुक अकाउन्ट/ट्विटर हैंडल (यथा–District Police, Rohtas/District Police, Muzaffarpur) खोला जा सकता है तथा इस पर जिला पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी/सूचनाओं को नियमित रूप से अपलोड किया जा सकता है।

(ग) इसके अतिरिक्त सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के फेसबुक/ट्विटर अकाउन्ट को क्रमशः लाईक तथा फॉलो किया जाय, जिससे सरकार की उपलब्धियों/सूचनाओं को एक दूसरे से साझा (share) करने में सुविधा हो।

(घ) जिले के महत्वपूर्ण व्यक्तियों, पदाधिकारियों, पत्रकारों तथा अन्य समूहों को जिला प्रशासन के फेसबुक ट्विटर अकाउन्ट को क्रमशः लाईक तथा फॉलो करने हेतु प्रेरित किया जाय ताकि फेसबुक पेज/ट्विटर हैण्डल पर डाली गयी सामग्रियों को कम–से–कम समय में अधिक–से–अधिक लोगों तक पहुँचाया जा सके।

(ङ). राज्य स्तर से प्राप्त महत्वपूर्ण सूचनाओं/संदेश/वीडियो यथाः IPRD समाचार आदि को जिले के विभिन्न वाह्टसएप ग्रुप में Share किया जाय।

152

(च) जिले की आधिकारिक वेबसाईट पर फैक्ट चेक का लिंक डाला जाय, जिस पर जिले के संदर्भ में सोशल मीडिया/समाचार पोर्टल/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित अथवा समाचारपत्रों में प्रकाशित नकारात्मक, भ्रामक, तथ्यहीन तथा आधारहीन खबरों का त्वरित रूप से खंडन किया जाय ताकि लोगों को वस्तु–स्थिति की सही जानकारी हो सके एवं प्रशासन की छवि पर नकारात्मक प्रभाव नही पड़े। साथ ही उक्त खंडन अथवा वस्तु–स्थिति को जिले के फेसबुक एकाउंट/ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया जाय एवं सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग को भी अवगत कराया जाय ताकि समुचित कार्रवाई की जा सके।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यों के संबंध में शीघ्र समुचित कार्रवाई कर इस विभाग को भी अवगत कराया जाय।

विश्वासभाजन

(अनुपम कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– 714 सू0ज0स0वि0, बिहार, पटना, दिनांक– 29/05/2020

प्रतिलिपिः–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी रेंज पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– 714 सू0ज0स0वि0, बिहार, पटना, दिनांक– 29/05/2020

प्रतिलिपिः–सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– 714 सू0ज0स0वि0, बिहार, पटना, दिनांक– 29/05/2020

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– 714 सू0ज0स0वि0, बिहार, पटना, दिनांक– 29/05/2020

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/05/20
सरकार के सचिव